संख्या–143/पॉच–9–2015–9(127)/12

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. मिशन निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य मिशन,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–9

लखनऊ : दिनांक 27 जनवरी, 2015

विषयः–शासकीय योजनाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं/नर्सिंग होम/संस्थाओं को इन योजनाओं के अंतर्गत सेवा देने हेतु सम्बद्ध किये जाने सम्बन्धी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए वैश्विक स्तर पर वर्ष–2020 तक परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पतियों की संख्या के संकल्प को पूरा करने में भारत के लक्ष्य का एक चौथाई अकेले उत्तर प्रदेश से पूरा किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए प्रदेश में परिवार नियोजन अपनाने वाले दम्पतियों की संख्या 6 वर्षो में दो गुनी किये जाने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शासकीय चिकित्सालयों के साथ–साथ निजी क्षेत्र में भी इस काम को गति दिये जाने की आवश्यकता है। शासन स्तर पर परिवार नियोजन सेवाएं देने के लिए निजी सेवा प्रदाताओं/नर्सिंग होम/संस्थाओं को सम्बद्ध करने हेतु शासनादेश संख्या–3437/पॉच–9–07 –6(17)/89 टी. सी. दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 द्वारा प्राविधान किया गया था एवं इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश पत्र संख्या–एस.पी.एम.यू./जी.एम./बी.एस./2008–09/10–432, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 द्वारा जारी किये गये थे। कुछ व्यावहारिक जटिलताओं तथा निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के बीच जानकारी के अभाव के कारण यह व्यवस्था अधिक प्रचलित नहीं हो सकी है। अतः इस प्रक्रिया को गति देने के लिए चरणबद्ध रूप में संस्थागत प्रणाली स्थापित की जा रही है, जिसके अंतर्गत निजी सेवा प्रदाताओं की सम्बद्धता तथा भुगतान सम्बन्धी पूरी प्रक्रिया एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की निगरानी में वेब पोर्टल के माध्यम से संपादित की जाएगी। अतः उक्त शासनादेश तथा तत्सम्बन्धी अन्य दिशा–निर्देशों को अवक्रमित करते हुये वर्तमान शासनादेश जारी किया जा रहा है जो जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2– <u>राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन–</u>

शासकीय योजनाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन सेवायें देने हेतु निजी सेवा प्रदाताओं/नर्सिंग होम/संस्थाओं की सम्बद्धता, उनके द्वारा दी गई सेवाओं के सत्यापन, भुगतान प्रक्रिया तथा शिकायत निवारण सहित पूरी प्रक्रिया की निगरानी तथा आवश्यक नीतिगत निर्णयों हेतु राज्य स्तर पर एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा। उक्त टास्क फोर्स की संरचना निम्नवत होगी–

2.1 <u>राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की संरचना :</u>

संरक्षक–प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(i) अध्यक्ष – अधिशासी निदेशक, सिफ्सा
(ii) उपाध्यक्ष – अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा
(iii) संयोजक निदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय
(iv) सदस्य सचिव– संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय
(v) विशेष सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (प्रमुख सचिव द्वारा नामित) – सदस्य
(vi) महाप्रबन्धक, परिवार कल्याण, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन – सदस्य
(vii) वित्त नियंत्रक, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन – सदस्य
(viii) अधिशासी निदेशक, टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, उत्तर प्रदेश – सदस्य
(ix) प्रतिनिधि मुख्य चिकित्साधिकारी – सदस्य
(x) विधि परामर्शदाता, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई – सदस्य
(xi) प्रतिनिधि, विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ – सदस्य
(xii) प्रतिनिधि, जनसंख्या स्थिरता कोष – सदस्य
(xiii) प्रतिनिधि (अधिकतम तीन), निजी सेवाप्रदाताओं के साथ काम कर ही विकास सहयोगी संस्थाएं यथा टी0एस0यू0, पी0एस0आई0, एच0एल0एफ0पी0पी0टी0, मेरी स्टोप्स इण्डिया, जननी, एंजेडर हेल्थ एवं अन्य – सदस्य
(xiv) प्रतिनिधि (एक), निजी सेवाप्रदाता (नर्सिंग होम एसोसिएशन) – सदस्य

इसके अतिरिक्त टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में अधिशासी निदेशक, सिफ्सा , आवश्यकता के अनुरूप टास्क फोर्स में विशेष आमंत्री को शामिल किये जाने/हटाये जाने के सम्बन्ध में विवेकाधीन निर्णय लेने हेतु अधिकृत होंगे।

2.2 टास्क फोर्स के कार्य एवं अधिकार:

टास्क फोर्स निजी सेवा प्रदाताओं/नर्सिंग होम/संस्थाओं की सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी मुद्दे पर नीतिगत निर्णय हेतु शासन को परामर्श देने, संपूर्ण प्रक्रिया के संचालन की समीक्षा एवं निगरानी करने हेतु अधिकृत होगी। टास्क फोर्स के कार्यो एवं अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है:–

- विषय सम्बन्धी समस्त नीतिगत निर्णय हेतु शासन को परामर्श देना।
- निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं/नर्सिंग होम/संस्थाओं की परिवार नियोजन सम्बन्धी योजनाओं में सम्बद्धता हेतु आवश्यक मार्ग दर्शन, सम्बन्धित कार्यो की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी करना।
- "सूचना संचार तकनीक" (आई0सी0टी0) आधारित प्रणाली का निर्माण (वेब पोर्टल) तथा अनुरक्षण करना।
- वेब पोर्टल के संचालन को सुनिश्चित करना।
- सम्बद्धता हेतु आने वाले आवेदनों, सम्बद्धता प्रगति, सम्बद्धता प्राप्त सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं तथा भुगतान की अद्यतन स्थिति की समीक्षा तथा आवश्यक निर्णय लेना।
- योजना से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करना।
- टास्क फोर्स के सदस्यों के संज्ञान में लाये गये किसी भी विषय/मुद्दे पर चर्चा करना, निर्णय लेना।
- निदेशक परिवार कल्याण के नेतृत्व में गठित किये जाने वाले "निजी सेवा प्रदाता प्रकोष्ठ" की संरचना तथा कार्यभार का निर्धारण करना।

2.3 **राज्य स्तरीय "टास्क फोर्स"** की बैठक गठन के बाद प्रारंभिक तीन माह तक प्रत्येक सप्ताह में तथा उसके पश्चात् प्रत्येक पंद्रह दिनों में आयोजित की जायेगी।

3– <u>योजना का वेब पोर्टल के माध्यम से संचालन–</u>

3.1 निजी सेवा प्रदाताओं/नर्सिंग होम/संस्थाओं की सम्बद्धता, उनके द्वारा दी गई सेवाओं की सूचना प्राप्ति तथा भुगतान की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सूचना संचार तकनीक का उपयोग करते हुए सभी प्रक्रियाओं को वेब पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। इसके लिए **"हौसला साझीदारी"** के नाम से एक समर्पित वेब पोर्टल का विकास किया जायेगा। (वेब पोर्टल के पूरी तरह संचालित होने तक प्रक्रिया वर्तमान स्वरूप में–संलग्नक 1 के अनुसार जारी रहेगी परन्तु 1 अप्रैल, 2015 तथा उसके उपरान्त् समस्त गतिविधियों का संचालन वेब पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा। वर्तमान में निजी सेवा प्रदाता की सम्बद्धता एक वित्तीय वर्ष के लिए होती है। अतः इस वित्तीय वर्ष में सम्बद्ध सेवा प्रदाताओं की सम्बद्धता 31 मार्च, 2015 को समाप्त हो जायेगी। अगली सम्बद्धता हेतु सेवा प्रदाता को वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

3.2 **"हौसला साझीदारी"** वेब पोर्टल से सम्बद्ध एक हेल्पलाइन भी स्थापित की जायेगी।

3.3 **"हौसला साझीदारी"** पोर्टल के संचालन का उत्तरदायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण के नेतृत्व में प्रस्तावित, निजी सेवा प्रदाता सम्बद्धता प्रकोष्ठ (हौसला साझेदारी प्रकोष्ठ) का होगा। इस कार्य में महाप्रबन्धक, परिवार कल्याण, एस0पी0एम0यू0 द्वारा यथायोग्य सहयोग प्रदान किया जायेगा। यह प्रकोष्ठ टास्क फोर्स के लिये सचिवालय के रूप में भी कार्य करेगा और प्रत्येक सप्ताह निजी सेवा प्रदाताओं की सम्बद्धता एवं उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं के संदर्भ में हुई प्रगति का प्रतिवेदन "टास्क फोर्स" की साप्ताहिक/पाक्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगा।

3.4 **"हौसला साझीदारी"** पोर्टल सम्बद्ध हेल्पलाइन तथा प्रकोष्ठ का वित्त पोषण सिफ्सा के माध्यम से किया जायेगा।

3.5 यह पोर्टल निजी सेवा प्रदाताओं/नर्सिंग होम/संस्थाओं की सम्बद्धता हेतु आवेदन से लेकर भुगतान प्राप्ति तक की प्रक्रिया में उपयोग होगा तथा प्रक्रिया को प्रत्येक चरण पर पारदर्शी बनाएगा।

3.6 इस पोर्टल पर निजी सेवा प्रदाता अपना पंजीकरण करके सम्बद्धता तथा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय की अनुसूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे, सम्बद्धता स्थिति की जॉच कर सकेंगे, दी गई सेवाओं का ब्यौरा दर्ज कर सकेंगे तथा उसके आधार पर अनुमन्य भुगतान की रकम और भुगतान स्थिति की जॉच कर सकेंगे।

3.7 पोर्टल पर सम्बन्धित शासनादेशों के अभिलेख, निजी सेवा प्रदाताओं हेतु नियमावली, योजनाएं तथा अन्य आवश्यक विवरण उपलब्ध होंगे।

4– <u>योजना के अन्तर्गत निजी सेवा प्रदाताओं/नर्सिंग होम/संस्थाओं को मान्यता–</u>

4.1 निजी सेवा प्रदाताओं/नर्सिंग होम/संस्थाओं को इस शासनादेश के अनुसार राजकीय योजनाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन सेवायें देने के लिए सम्बद्धता प्रदान की जायेगी। राज्य में सम्बद्धता प्राप्त निजी सेवा प्रदाता/नर्सिंग होम/संस्थाएं निर्धारित शर्तें पूरी होने पर तथा अनुबंध के तहत भारत सरकार की जनसंख्या स्थिरता कोष के माध्यम से चलने वाली संतुष्टि योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं ।

4.2 वर्तमान शासनादेश के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत निजी सेवा प्रदाताओं/नर्सिंग होम/संस्थाओं को मान्यता दिये जाने हेतु वेब पोर्टल पर आवेदन की व्यवस्था की जाएगी। जिसका विस्तृत विवरण संलग्नक–2 पर उपलब्ध है।

4.3 इस योजना के अंतर्गत सम्बद्ध सभी निजी सेवा प्रदाता/नर्सिंग होम/संस्थाएं संतुष्टि योजना जो कि भारत सरकार द्वारा स्थापित जनसंख्या स्थिरता कोष के द्वारा कियान्वित की जा रही है, का लाभ भी उठा सकेंगे। इसके लिये संतुष्टि योजना के तहत निजी सेवा प्रदाता को जनसंख्या स्थिरता कोष तथा राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ त्रिपक्षीय अनुबन्ध करना पड़ेगा। क्लीनिक आउटरीच टीम की दशा में भी यह समझौता संस्था, राज्य स्वास्थ्य समिति तथा जनसंख्या स्थिरता कोष के साथ त्रिपक्षीय अनुबन्ध में होगा।

5– <u>सेवा प्रदाता (सर्जन) का अनुसूचन (एम्पैनलमेन्ट)</u>

5.1 इस योजना के अन्तर्गत केवल वही शल्य चिकित्सक (सर्जन) सम्बद्ध निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स अथवा सार्वजनिक सेवा केन्द्रो पर सेवा दे सकेंगे जिनका जिला स्तर पर परिवार नियोजन सेवा देने के लिये नियमानुसार अनुसूचन (एम्पैनलमेन्ट) होगा।

5.2 एक जिले/राज्य की अनुसूची में शामिल शल्य चिकित्सक किसी भी जिले/राज्य में सेवा देने हेतु मान्य होंगे।

5.3 केवल अनुसूचित शल्य चिकित्सक (सर्जन) ही शासन स्तर पर शल्य चिकित्सको (सर्जन्स) को आच्छादित करने वाली क्षतिपूर्ति योजना (इंडेमिनिटी स्कीम) का हिस्सा बनने के लिए पात्र होंगे।

5.4 जिला स्तर पर अनुसूचित शल्य चिकित्सकों सेवा–वार सूची मिनीलैप, लैप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी, पारम्परिक पुरूष नसबन्दी तथा बिना चीरा बिना टांका पुरूष नसबन्दी हेतु पृथक रूप से राज्य स्तर पर रखी जायेगी।

5.5 शल्य चिकित्सकों की सूची की प्रत्येक तीन माह में समीक्षा की जायेगी।

5.6 वेब पोर्टल पर सेवा प्रदाता शल्य चिकित्सकों (सर्जन्स) को अनुसूचित किये जाने हेतु आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

अनुसूचन (एम्पैनलमेन्ट) हेतु आवश्यक योग्यताओं का विवरण संलग्नक–3 पर उपलब्ध है।

6– <u>क्लीनिकल आउटरीच (सी0ओ0टी0) सेवा देने हेतु निजी संस्थाओं की सम्बद्धता हेतु प्राविधान</u>

परिवार नियोजन में अनुभवी निजी/गैर सरकारी संस्थाओं को क्लीनिकल आउटरीच टीम के माध्यम से चिन्हित सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाईयों पर सेवा देने के लिये सम्बद्ध किया जायेगा। इसके लिये इच्छुक संस्थाओं को निम्नांकित सुनिश्चित करना होगा–

(क). निर्धारित योग्यता वाले शल्य चिकित्सक (सर्जन्स) तथा अन्य चिकित्सा सहकर्मी (संलग्नक–3 के अनुसार).

(ख). आउटरीच सेवाओं से सम्बन्धित आपूर्ति, दवाएँ, उपकरण आदि रखने तथा तैयारी हेतु स्थल कार्यालय

(ग). आवश्यकतानुरूप एम्बुलेन्स

(घ). आवश्यकतानुरूप उपकरण तथा आपूर्ति

6.1 क्लीनिकल आउटरीच टीम का संगठन, उनके पास उपलब्ध स्थल कार्यालय, एम्बुलेन्स तथा उपकरणों का विवरण संलग्नक–4 के अनुसार होगा।

6.2 मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित तीन सदस्यीय टीम द्वारा उक्त का सत्यापन किया जायेगा। उक्त टीम की संरचना ~~संरचना~~ निम्नवत होगी जिसमें –

(1)जनपदीय कार्यक्रम अधिकारी

(2)उप मुख्य चिकित्साधिकारी

(3)आई0एम0ए0/फोग्सी के जिला स्तरीय अधिकारी

6.3 संतोषजनक सत्यापन के उपरान्त निजी/गैर सरकारी संस्थाओं को क्लीनिकल आउटरीच टीम के माध्यम से चिन्हित सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाईयों पर सेवा देने के लिये सम्बद्ध किया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित संस्था के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया जायेगा।

6.4 इस प्रकार अनुबंधित संस्थाएँ दी गयी सेवाओं के समकक्ष, सत्यापित सेवाओं के लिये राज्य में निजी सेवा प्रदाताओं को दिये जाने वाले भुगतान को प्राप्त करने की पात्र होंगी साथ ही अनुबंधित संस्थाएँ जनसंख्या स्थिरता कोष के तहत सम्बद्ध होकर उसके लिये अनुमन्य भुगतान भी प्राप्त कर सकेगी।

6.5 क्लीनिकल आउटरीच सेवा देने वाली संस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाईयों पर सेवाएँ देने के समय लाभार्थी तथा प्रेरक को इन इकाईयों पर देय दर के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करेगी।

6.6 क्लीनिकल आउटरीच टीम के निर्धारित दिन चिन्हित सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई पर पहुँचनें पर, वहाँ उपस्थित प्रभारी चिकित्साधिकारी/सक्षम अधिकारी साथ लाये गये उपकरणों, उपयोग की जाने वाली सामग्री तथा दवाओं के मानकों के अनुरूप होने की जांच करेंगे। यदि इनमें से कोई भी मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता तो प्रभारी चिकित्साधिकारी/सक्षम अधिकारी क्लीनिकल आउट रीच टीम को सेवा देने से मना कर देने हेतु अधिकृत होंगे।

6.7 क्लीनिकल आउटरीच टीम चिन्हित सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रभारी चिकित्साधिकारी/सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में ही सेवा दे सकेगी।

6.8 क्लीनिकल आउटरीच सेवाएं देने के लिए आवेदन करने वाली संस्था के पास इस प्रकार की सेवाएं देने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

क्लीनिकल आउटरीच टीमों के चिकित्सको (सर्जन्स) का अनुसूचन (एम्पैनलमेन्ट) भी बिन्दु 4 में वर्णित नियमों के अनुसार होगा।

7– <u>सुरक्षित मातृत्व योजनाओं के अंतर्गत सम्बद्ध निजी सेवा प्रदाताओं हेतु प्राविधान–</u>

यदि सुरक्षित मातृत्व योजनाओं के अंतर्गत सम्बद्ध कोई निजी सेवा प्रदाता परिवार नियोजन सेवाओं हेतु सम्बद्धता के लिए आवेदन करता है एवं उसके पास नियमानुसार अवस्थापना तथा प्रशिक्षित शल्य चिकित्सक उपलब्ध है तो उसको इस योजना के अन्तर्गत स्वतः मान्यता प्राप्त हो जायेगी। पृथक भौतिक (स्थलीय) मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

8– <u>निजी सेवा प्रदाताओं/नर्सिंग होम/संस्थाओं को भुगतान–</u>

8.1 संबद्ध निजी सेवा प्रदाताओं/नर्सिंग होम/संस्थाओं को भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा।

8.2 निजी सेवा प्रदाताओं को नसबन्दी सेवाओं हेतु भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1675/पांच–9–2014-9(222)/14 दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 में तथा आई.यू.डी. सेवाओं हेतु भुगतान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–3437/पॉच –9–07–6(17)/89 टी.सी., दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 में व्यवस्था निहित है, जिसके अनुसार भुगतान राशि निम्नवत है:–

सेवा का प्रकार	सेवा प्रदाता का प्रकार	सेवा प्रदाता को देय धनराशि	लाभार्थी को देय क्षतिपूर्ति धनराशि	कुल
महिला नसबन्दी	प्राइवेट	2000	1000	3000
पुरुष नसबन्दी	प्राइवेट	2000	1000	3000
आई.यू.डी.	प्राइवेट	75 (आई.यू.डी. मूल्य सहित)		75 (आई.यू.डी. मूल्य सहित)

8.3 यदि निजी सेवा प्रदाता/नर्सिंग होम/संस्था जनसंख्या स्थिरता कोष के अंतर्गत भी अनुबंधित है तो निर्धारित शर्त (माह में न्यूनतम 10 महिला/पुरूष नसबंदी करना) पूरी करने पर निम्नवत भुगतान प्राप्त कर सकेगी:–

सेवा का प्रकार	सेवा प्रदाता का प्रकार	सेवा प्रदाता को देय धनराशि	लाभार्थी को देय क्षतिपूर्ति धनराशि	योग
महिला नसबन्दी	प्राइवेट	2500	1600	4100/– (3000/– एन.एच.एम. फंड से एवं 1100/– जे.एस. के. फंड से)
पुरुष नसबन्दी	प्राइवेट	2500	2100	4600/– (3000/– एन.एच.एम. फंड से एवं 1600/– जे.एस. के. फंड से)

8.4 अनुबंध हस्ताक्षरित होते ही निजी सेवा प्रदाता/नर्सिंग होम/संस्थओं को नसबन्दी के 25 केसों के लिये अग्रिम भुगतान उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8.5 निजी सेवा प्रदाता/नर्सिंग होम/संस्था द्वारा एक माह में अपलोड कुल सेवाओं/लाभार्थियों में से 10 प्रतिशत का भौतिक सत्यापन भुगतान हेतु आवश्यक होगा। यह सत्यापन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित टीम करेगी जिसमें जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला नोडल परिवार कल्याण अधिकारी अथवा अपर मुख्य चिकित्साधिकारी सम्मिलित होंगे। सम्बद्ध निजी सेवा प्रदाता/नर्सिंग होम/संस्था प्रदेश के किसी भी स्थायी निवासी को सेवा देने के लिये अधिकृत होंगे परन्तु ऐसे लाभार्थी का सत्यापन उसके गृह जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से कराया जाना आवश्यक होगा।

8.6 यदि किसी सेवा प्रदाता द्वारा अपलोड किया गया लाभार्थी/सेवा विवरण, हौसला साझीदारी के अंतर्गत स्थापित सत्यापन व्यवस्था में सत्यापित नहीं हो पाता अथवा गलत पाया जाता है तो प्रत्येक ऐसे मामले के लिए रूपये 10,000/– की धनराशि निजी सेवा प्रदाता द्वारा दण्ड स्वरूप देय होगी।

8.7 किसी सेवा प्रदाता के लाभार्थी/सेवा सम्बन्धी विवरण में दोबारा असंगतता/गलती पाए जाने पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स उस सेवा प्रदाता की सम्बद्धता समाप्त कर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करेगी।

9– अनुसूचित (एम्पैनल्ड) निजी चिकित्सकों द्वारा सरकारी केन्द्रों पर किए गए नसबंदी केसों के लिये प्राविधान–

एम्पैनल्ड निजी चिकित्सक को सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई पर प्रत्येक पुरूष नसबंदी केस पर रू0 250/–, प्रत्येक महिला नसबंदी केस पर रू0 150/–तथा पोस्ट पार्टम महिला नसबंदी केस पर रू0 250/– दिया जाएगा। इस प्रकार सरकारी केन्द्रों, जहां पर नसबंदी हेतु कुशल चिकित्सकों का अभाव रहता है, का समुचित उपयोग हो सकेगा । नसबंदी शिविरों में जहां एनेस्थेटिस्ट के अभाव में निजी चिकित्सकों द्वारा स्वयं स्थानीय निश्चेतन का उपयोग करते हुए महिला नसबंदी की जाती है, एनेस्थेटिस्ट को अनुमन्य धनराशि शुल्क रू0 50/– एम्पैनल्ड निजी चिकित्सक को दिया जाएगा।

10– सम्बद्धता अवधि–

निजी सेवा प्रदाता की सम्बद्धता एक बार में अधिकतम 5 वर्षो के लिए मान्य होगी किन्तु गुणवत्ता मानकों तथा अन्य प्रविधियों की सुनिश्चितता के लिए प्रत्येक वर्ष के अन्त में

प्रत्येक सम्बद्ध सेवा प्रदाता की समीक्षा राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की निगरानी में गठित समिति, जिसमें परिवार कल्याण महानिदेशालय, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा मंडलीय कार्यक्रम प्रबन्धक तथा विकास सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे, द्वारा की जायेगी।

11– <u>अनुश्रवण तथा गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण–</u>

11.1 निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा अपलोड की गई सेवाओं के संदर्भ में लाभार्थियों की सेवा संतुष्टि के आंकलन के लिए सुयोग्य तंत्र की स्थापना की जायेगी। इसके लिए यहां उल्लिखित एक या एक से अधिक या सभी विकल्पों को भी अपनाया जाएगा।

- सेवा सत्यापन करने वाली संस्थाओं के माध्यम से निर्धारित मापदण्डों पर लाभार्थियों तथा लाभार्थियों की संतुष्टि की जॉच कराई जाएगी।
- राज्य स्तर पर पोर्टल से सम्बद्ध हेल्प लाइन यादृच्छिक (रैंडम) तौर पर लाभार्थियों को फोन करके उनकी सत्यता और संतुष्टि का पता लगाया जायेगा।
- निश्चित अन्तराल पर राज्य व्यापी लाभार्थी संतुष्टि सर्वेक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

11.2 राज्य टास्क फोर्स/टास्क फोर्स द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा समय–समय पर सम्बद्ध सेवा प्रदाताओं का औचक निरीक्षण किया जायेगा साथ ही इस कार्य हेतु जनपद स्तर पर पहले से ही सृजित जनपदीय गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण समिति (डी0क्यू0ए0सी0) का भी सहयोग लिया जायेगा।

11.3 इस हेतु राज्य में निजी क्षेत्र के साथ काम कर रही विकास सहयोगी संस्थाओं की सहायता भी ली जाएगी। संस्था विशेष का चयन, संस्था के पास संसाधनों की उपलब्धता, अभिरूचि तथा टास्क फोर्स के अध्यक्ष के निर्णय के अधीन होगा।

12– <u>निजी सेवा प्रदाताओं का संवेदीकरण तथा प्रशिक्षण–</u>

सेवा प्रदाताओं का आवेदन पूर्व संवेदीकरण तथा सम्बद्धता उपरान्त् प्रशिक्षण आवश्यक है जिसका प्रबंधन राज्य स्तरीय टास्क फोर्स प्रदेश में निजी क्षेत्र के साथ काम कर रही विकास सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से करेगी।

निजी सेवा प्रदाताओं के संवेदीकरण एवं सम्बद्धता उपरान्त् प्रशिक्षण की योजना संलग्नक–6 के अनुसार होगी।

13– <u>योजना का प्रचार–प्रसार–</u>

शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक सुयोग्य तथा पात्र निजी सेवा प्रदाताओं को सम्बद्ध करने के लिए योजना का प्रचार किया जायेगा।

इस क्रम में निजी सेवा प्रदाताओं की सम्बद्धता को प्रदेश के हौसला अभियान से जोड़ते हुए **"हौसला साझीदारी"** नाम देकर प्रसारित/प्रचारित किया जायेगा। निजी सेवा प्रदाताओं के बीच **"हौसला साझीदारी"** सम्बन्धी जागरूकता बढ़ाने तथा सम्बद्धता हेतु आवेदन करने के लिए प्रेरित करने हेतु विकास सहयोगी संस्थाओं की सहायता ली जायेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकःयथोक्त।</u>

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–143(1) / पॉच–9–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा।
2. समस्त जिलाधिकारी।
3. अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(यतीन्द्र मोहन)
संयुक्त सचिव।

24/1/15

Gope si

वेब पोर्टल आरम्भ होने तक अन्तरिम व्यवस्था

1. इच्छुक निजी सेवा प्रदाता/नर्सिंग होम/COT संस्था अपना प्रार्थना पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देंगे।
2. प्राप्त आवेदन पत्रों का स्थानीय मूल्यांकन मुख्य चिकित्सा अधिकारी दारा गठित समिति करेगी, जिसमें जनपदीय कार्यक्रम अधिकारी, उप मुख्यचिकित्साधिकारी, आई0एम0ए0/फोग्सी के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे।
   उपरोक्त समिति स्थलीय मूल्यांकन कर अपनी आख्या व संस्तुति निर्धारित प्रपत्र पर देगी जिसके आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी दारा मान्यता दी जायेगी।

3. **अनुबन्धः** गर्भ निरोधक सेवायें प्रदान करने के लिए इच्छुक निजी नर्सिंग होम/चिकित्साल्यों द्वारा उपरोक्तानुसार मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ दस रूपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जायेगा।

4. **सौभाग्यवती सुरक्षित मातृत्व योजना के अंर्तगत मान्यता प्राप्त नर्सिंग होमः**

इस योजना के अंतर्गत यदि सौभग्यवती सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नर्सिंग होम आवेदन करता है एवं उनके पास मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित सर्जन उपलब्ध हो तो उसको स्वतः मान्यता प्रदान की जायेगी एवं पृथक स्थलीय मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

नसबंदी एवं उसके पश्चात सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल (स्टैन्डर्ड फार मेल एण्ड फीमेल स्टर्लाइजेशन) का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

5. **सेवाओं हेतु चिकित्सालयों को देय धनराशिः नवीनतम** शासनादेश के अनुसार होगी

नर्सिंग होम/चिकित्सालयों द्वारा प्रत्येक लाभार्थी से एक घोषणा पत्र हस्ताक्षरित कराया जायेगा कि लाभार्थी द्वारा उपरोक्त सुविधाओं के लिये नर्सिंग होम/चिकित्सालय को कोई भुगतान नहीं किया गया है। उक्त आशय का प्रमाण पत्र claim statement के साथ संलग्नक किया जायेगा।

6. **भुगतान की प्रकियाः**
   (अ) अनुबन्ध हस्ताक्षरित होते ही निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालय को रू0 15000/– एडवांस के रूप में उपल्ब्ध करा दिया जायेगा।
   (ब) नर्सिंग होम/चिकित्सालय द्वारा प्रेरक तथा लाभार्थी को देय भुगतान एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा।
   (स) नर्सिंग होम/चिकित्सालय द्वारा माह में संपादित गर्भ निरोधक सेवाओं हेतु क्लेम फार्म समस्त विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अगले माह की 5वीं तारीख तक दिया जायेगा।
   (द) मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपरोक्त प्रपत्र का परीक्षण कर 7 दिनों में भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।
   (ई) **क्लीनिकल आउटरीच (सी0ओ0टी0) सेवा देने हेतु निजी संस्थाओं की सम्बद्धता हेतु** मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित अधिकारियों की टीम के द्वारा संतोषजनक सत्यापन के उपरान्त निजी/गैर सरकारी संस्थाओं को क्लीनिकल आउटरीच टीम के माध्यम से चिन्हित सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाईयों पर सेवा देने के लिये सम्बद्ध किया जायेगा। क्लीनिकल आउटरीच टीमों के चिकित्सको (सर्जन्स) का अनुसूचन (एम्पैनलमेन्ट) भी शासनादेश के बिन्दु 4 में वर्णित नियमों के अनुसार होगा।

निजी सेवा प्रदाताओं के लिए समर्पित वेब पोर्टल "हौसला साझीदारी" की कार्य प्रणाली

1. निजी सेवा प्रदाताओं की शासकीय योजनाओं में सम्बद्धता दो प्रकार से संभव है 1. सेवा प्रदाता अपने स्थाई चिकित्सालय/ नर्सिंग होम जहां सेवाएं दिए जाने हेतु आवश्यक अवस्थापना तथा संसाधन उपलब्ध हो वहां सेवाएं प्रदान करें। 2. सेवा प्रदाता "क्लीनिकल आउटरीच" सेवा प्रदाताओं के रूप में काम करते हुए उपलब्ध शासकीय अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) तथा संसाधनों का प्रयोग करें यानि शासकीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों (पी0एच0सी0/सी0एच0सी0) पर जाकर सेवाएं दे।
2. पहली स्थिति में निजी सेवा प्रदाता के स्थाई चिकित्सालय/नर्सिंग होम की सम्बद्धता के साथ साथ वहां उपलब्ध सेवा प्रदाता–प्रशिक्षित शल्य चिकित्सक (सर्जन) का मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अनुसूचित होना भी आवश्यक है जबकि "क्लीकल आउटरीच" सेवा प्रदाताओं के लिए यदि वो शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर सेवा दे रहे हैं तो केवल प्रशिक्षित शल्य चिकित्सक (सर्जन) का मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अनुसूचित होना आवश्यक है।
3. किसी भी उपयोगकर्ता के लिए सरल रूप में वेब पोर्टल उपयोग की प्रक्रिया निम्नवत् होगीः–

3.1 सम्बद्धता हेतु आवेदन के समय सेवा प्रदाता "वेब पोर्टल" पर पंजीकरण करके अपना विशिष्ट उपयोगकर्ता "आई0डी0" (यूनिक यूजर आई डी) प्राप्त करेगा।

3.2 अपने यूनिक यूजर आई0डी0 के माध्यम से पंजीकरण/सम्बद्धता अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर अनुसूची में शामिल होने के लिए अपना आवेदन पत्र पोर्टल पर अपलोड करेगा।

3.3 आवेदन पत्र के अपलोड होते ही, सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, मंडलीय अपर निदेशक तथा मण्डलीय कार्यक्रम अधिकारी के पास ई–मेल/एस0एम0एस0 अलर्ट जायेगा।

3.4 अलर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित अधिकारियों की टीम (जिसमें जनपदीय कार्यक्रम अधिकारी, उप मुख्यचिकित्साधिकारी, आई0एम0ए0/फोग्सी के जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हों), आवेदन कर्ता के दस्तावेजों की प्रतिपुष्टि तथा सेवा प्रदान करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के भौतिक/स्थलीय निरीक्षण की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी तथा 10 दिनों के भीतर अपनी आख्या पोर्टल पर उपलब्ध प्रपत्र पर भरेगी अथवा कागज पर भरे हुए प्रपत्र की स्कैन की हुई प्रति अपलोड कर देगी। इस शासनादेश के प्रस्तर–6 के अनुसार सुरक्षित मातृत्व सेवाओं के लिये मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाताओं हेतु पृथक भौतिक स्थलीय परीक्षण नहीं होगा।

3.5 सम्बद्धता अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर अनुसूची में शामिल होने के लिए सभी मानक पूरे करने वाले एवं सभी प्रकार से उपयुक्त पाए गए निजी सेवा प्रदाताओं के नाम वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किए जायेंगे।

3.6 वेब पोर्टल पर नाम प्रदर्शित होने के 15 दिनों के भीतर मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ उन सेवा प्रदाताओं का अनुबन्ध निर्धारित प्रपत्र पर 10 रूपये के नान जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर होगा।

3.7 मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित अधिकारियों की टीम द्वारा उपयुक्त नहीं पाए गए/ मानकों को पूरा न करने वाले आवेदन कर्ताओं को भी ई–मेल/एस0एम0एस0 द्वारा सकारण सूचित कर दिया जायेगा।

3.8 वे सेवा प्रदाता जिनका अनुबन्ध मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ हो जायेगा साथ ही अनुसूची में भी शामिल कर लिये जायेंगे वे शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित सेवायें प्रदान करने तथा दी गई सेवाओं के समकक्ष निर्धारित भुगतान/प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु नियमानुसार पात्र होंगे। (शासनादेश संख्या 1675/पांच–9–2014–9(222)/14, दिनांक दिसम्बर, 11, 2014, जैसा इस शासनादेश के प्रस्तर–8 में उल्लिखित है)

3.9 सेवा प्रदाता निर्धारित मानकों के अनुसार, उल्लिखित मान्य सेवा प्रदान करने के बाद लाभार्थी/प्रदान की गई सेवा का विवरण पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इस व्यवस्था के तहत् सेवा प्रदाता द्वारा सेवा देने के बाद अधिकतम 03 दिनों तक लाभार्थी/सेवा का विवरण अपलोड करना आवश्यक होगा।

3.10 सेवा प्रदाता द्वारा अपलोड किये गये लाभार्थियों तथा सेवाओं का शासन द्वारा नियमानुसार सत्यापन कराया जायेगा तथा अद्यतन स्थिति को वेब पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

3.11 माह के अंत में किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा दी गई सेवाओं के विवरण तथा सत्यापन के समकक्ष पोर्टल का अंतर्निहित सॉफ्टवेयर, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सेवा प्रदाता के अनुमन्य भुगतान की

राशि दिखा देगा। इस प्रकार माह के अंत में प्रत्येक सेवा प्रदाता के कुल अनुमन्य भुगतान का ब्योरा विभाग तथा सेवा प्रदाता दोनो को प्राप्त हो जायेगा।

3.12 शासन द्वारा भुगतान निर्धारित समयावधि (45 दिन, लाभार्थी/सेवाओं का विवरण अपलोड होने के उपरान्त) में सीधे सेवा प्रदाता के पंजीकरण पत्र/समझौता पत्र (एम0ओ0यू0) में दिए गए एकाउंट में अंतरित (ट्रांसफर) कर दिया जायेगा। अनुमन्य भुगतान के समकक्ष किये गये भुगतान का विवरण तथा भुगतान की तिथि भी वेब पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

3.13 प्रक्रिया के किसी भी चरण पर निर्धारित समयावधि से विलम्ब होने पर सभी सम्बन्धित पक्षों को ई–मेल/एस0एम0एस0 अलर्ट प्राप्त होगा।

4. **शिकायत निवारण** – यदि किसी सेवा प्रदाता को किसी भी स्तर पर किसी असुविधा का सामना करना पड़ता है और वो इसकी शिकायत करना चाहता है तो पोर्टल पर इसका प्राविधान होगा। ऐसी कोई भी शिकायत दर्ज होते ही सम्बन्धित अधिकारियों को ई–मेल/एस0एम0एस0 अलर्ट प्राप्त होगा। सम्बन्धित अधिकारी अधिकतम तीन कार्यदिवसों के भीतर शिकायत को देखकर उचित समाधान देंगे।

5. **कार्यक्रम की निगरानी तथा अनुश्रवण में वेब पोर्टल की भूमिका**– पोर्टल के माध्यम से प्रति सप्ताह होने वाली राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में समीक्षा हेतु जनपदीय सूचनाएं/विश्लेषण प्राप्त किये जा सकेंगे।

5.1 प्रत्येक जनपद में प्रत्येक सेवा हेतु/मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर अनुसूची में शामिल होने के लिए प्राप्त आवेदन।

5.2 जनपदवार पूर्णतः सही पाए गए आवेदन

5.3 सही पाए गए आवेदनों के समकक्ष की गयी दस्तावेज प्रतिपुष्टि तथा भौतिक निरीक्षण

5.4 दस्तावेज प्रतिपुष्टि/भौतिक निरीक्षण के उपरान्त सम्बद्धता योग्य पाय गये सेवा प्रदाताओं की संख्या

5.5 योग्य सेवा प्रदाताओं के समकक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर पर किये गये समझौतों की संख्या

5.6 सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही सेवाओं का विवरण

5.7 भुगतान की स्थिति

नसबन्दी प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु सेवाप्रदाताओं की पात्रता

नसबन्दी सेवाएं			
अनुसूचन	महिला	मिनिलैप नसबन्दी	1. डीजीओ, स्त्री एवं प्रसूति रोग में एमडी / एमएस
			2. किसी अन्य शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) क्षेत्र में विशेषज्ञ 3. एम.बी.बी.एस. — मिनिलैप नसबन्दी में प्रशिक्षित
		लैप्रोस्कोपिक नसबन्दी	1. डीजीओ, स्त्री एवं प्रसूति रोग में एमडी / एमएस 2. किसी अन्य शल्य चिकित्सा (सर्जिकल) क्षेत्र में विशेषज्ञ 2. एम.बी.बी.एस. जो मिनिलैप नसबन्दी रहे हों — लैप्रोस्कोपिक नसबन्दी में प्रशिक्षित
	पुरूष	पारम्परिक पुरूष नसबन्दी	एमबीबीएस तथा उच्चतर (पारम्परिक पुरूष नसबन्दी में प्रशिक्षित)
		बिना चीरा बिना टांका पुरूष नसबन्दी (नान कन्वेंशनल– एन. एस.वी.)	एमबीबीएस तथा उच्चतर (बिना चीरा बिना टांका पुरूष नसबन्दी में प्रशिक्षित)

- राज्य स्तर पर, जिलो में सार्वजनिक तथा सम्बद्ध निजी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों पर नसबन्दी आपरेशन करने के लिये अनुसूचित किये गये शल्य चिकित्सकों की जिलेवार सूची रखी जाये।
- राज्य स्तर पर मिनीलैप, लैप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी, पारम्परिक पुरूष नसबन्दी तथा बिना चीरा बिना टांका पुरूष नसबन्दी करने वाले शल्य चिकितसकों की पृथक–पृथक सूची होनी चाहिये।
- केवल वही शल्य चिकित्सक सार्वजनिक अथवा सम्बद्ध निजी चिकित्सा केन्द्रों पर नसबन्दी आपरेशन करने के लिए अधिकृत होंगे, जिनका नाम अनुसूची में शामिल होगा।
- सूची को प्रत्येक तीन माह अथवा आवश्यकता होने पर इससे पहले अद्यतन किया जायेगा।
- एक शल्य चिकित्सक जो एक राज्य / जिले में नसबन्दी आपरेशन करने के लिए सूचीबद्ध है अन्य राज्यों या जिलो में भी यह सेवाएं दे सकेगा।
- राज्य उन चिकित्सकों को भी सूचीबद्ध कर सकता है जो पिछले तीन वर्षो से सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नसबन्दी ऑपरेशन कर रहे हैं।

वे निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जो नसबन्दी सेवाएं देना चाहते हैं, वे एस.क्यू.ए.सी. / डी.क्यू.ए.सी.– मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर अपनी सम्बद्धता करायें, ताकि उनकों क्षतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ उस योजना के नियमानुसार प्राप्त हो सकें।

संदर्भः

महिला नसबन्दी हेतु सन्दर्भ पुस्तिका, नवम्बर, 2014
नसबन्दी सेवाओं हेतु मानक एवं गुणवत्ता आश्वासन, नवम्बर, 2014

क्लिनिकल आउटरीच टीम के लिये टीम का विवरण एवं आवश्यक व्यवस्था

क्लिनिकल आउटरीच टीम के लिये टीम का विवरण गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवायें प्रदान करने के लिये क्लिनिकल आउटरीच टीम में निम्न स्टाफ होगा ;ब्व्द्ध टीम

विवरण	संख्या	न्यूनतम योग्यता
सर्जन	1	एम.एस. गाइनी / एम.बी.बी.एस. डी.जी.ओ. / एम.एस. सर्जरी / / एम.बी.बी.एस. 12 दिन का प्रशिक्षण सर्टीफिकेट
मेडीकल आफीसर या ओ टी टेक्नीशिसन तथा लैब टेकनीशिसन	1 1 1	एम.बी.बी.एस. या आयुश ओ टी टेक में डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक में डिप्लोमा
एनेस्थेटिस्ट	1	एम.बी.बी.एस. एएनेस्थेसिया मे डिप्लोमा
मेल नर्स	1	जी.एन.एम. या ए.एन.एम.
फीमेल नर्स	1	जी.एन.एम. या ए.एन.एम.
ब्लॉक कॉर्डीनेटर	1	कोई भी ग्रेजुएट / बी.कॉम. को प्राथमिकता
काउन्सलर	1	कोई भी ग्रेजुएट
ड्राइवर	1	बैध ड्राइविंग लाइसेन्स

प्रत्येक आउट रीच टीम के लिये आवश्यक उपकरण

क्र. सं.	उपकरणों का विवरण एवं संख्या
1	कस्टमाइज वैन
	अ. लैप्रोस्कोपी सैट – 4 लैप्रोस्कोप प्रत्येक टीम के साथ
1	वैरेस निडिल – 13 एवं 15 इन्च – दौनों एक एक
2	ट्रौकार 7 कैन्युला सहित – 1
3	टेलीस्कोप – 1
4	रिंग एप्लेकेटर – 1
5	फैलोप रिंग लोडर – 1
6	फैलोप रिंग
7	डिसेक्टिंग फॉरसेप्स, टूथैड – 1
8	स्कैल्पल – ब्लेड साइज 11–1 सहित
9	स्ट्रेट सीजर – 1
10	स्पंज होल्डिंग फॉरसेप – 2
11	निडिल होल्डर – 1
12	स्मॉल कर्वड कटिंग निडिल
13	साइडेक्स ट्रे – 4
14	स्टेनलैस स्टील किडनी ट्रे– 2
15	स्टेनलैस स्टील बाउल – 2
16	एल.ई.डी. बैटरी लाइट सोर्स – 1
17	कार्बन डाई आक्साइड गैस सिलेण्डर – 2
18	एकोल्ड लाइट सोर्स – फाइबर ऑप्टिक केबल सहित – 1
19	एइलैक्ट्रिक एण्डोफलेटर सैट – 1
	अ – मिनीलैप सैट – प्रत्येक टीम के साथ 50 सेट
1	बी.पी. हैण्डल 3 नं. – 1
2	निडिल होल्डर मायो हैगर लगभग 6'' – 1
3	बेबकॉक फॉरसैप्स लगभग 51/2 – 2
4	5मॉस्क्यूटो आर्ट्री फॉरसैप्स 5'' कर्वड सीरेटेड – 3
5	आर्ट्री फॉरसैप्स स्ट्रेट – 3
6	आइरिस सीजर 11 से.म.
7	मैटजैनबॉम सीजर कर्बड 6'' – 1
8	ड्रैसिंग फॉरसैप्स 6'' प्लेन – 1

9	ड्रैसिंग फॉरसैप्स 6'' टूथैड – 1
11	स्मॉल लैंजेनबैक (स्राइट–एंगल एब्डॉमिनल) सरिट्रेक्टर – 2
11	ट्यूबल हुक – 1
12	स्पंज होल्डिंग फॉरसैप्स – 2
13	स्कैल्पेल ब्लेड, 15 नं.
14	एलीज फॉरसेप्स – 2
15	स्डिसेक्टिंग फॉरसैप्स, टूथैड – 1
16	स्डिसेक्टिंग फॉरसैप्स, नॉन टूथैड – 1
17	स्मॉल राउण्ड–बॉडीड कर्वड निडिल
18	स्मॉल कटिंग
	सी – एन.एस.व्ही. किट – प्रत्येक टीम के साथ 10 किट
1	एक्स्ट्रा–क्यूटेनियस वास फिक्सिंग रिंग फॉरसैप्स – 1
2	वस डिसेक्टिंग फॉरसैप्स – 1
3	स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स – 1
4	मायो सीजर्स – 1
5	स्टैनलैस स्टील बाउल – 1
6	सर्जीकल ट्रे विद कवर 12X10 इंच – 1
7	मॉस्क्यूटो विदाउट सैरेसन – 1
	डी – आई.यू.डी. किट – प्रत्येक टीम के साथ 10 किट
1	स्टैनलैस स्टील ट्रे विद कवर – लार्ज – 1
2	स्पैकुलम – सभी तीनों साइज की (दसिम्स या कस्कॉस)
3	एन्टीरियर वैजाइनल वॉल रिट्रैक्टर ;यदि सिम्स स्पैकुलम है 1
4	स्पंज होल्डिंग फॉरसैप्स – 1
5	लॉग कर्वड सीजर्स – 1
6	वॉल्सेलम – 1
7	यूटेराइन साउण्ड – 1
8	स्मॉल स्टैनलैस स्टील बाउल – 2
9	किडनी फॉरसेप्स – 1
10	लॉग आर्टी फॉरसैप्स – 1

निजी सेवा प्रदाताओं का संवेदीकरण तथा प्रशिक्षण

सेवा प्रदाताओं के संवेदीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नांकित को सुनिश्चित किया जाना है:–

1. आवेदन पूर्व संवेदीकरण
    - शासकीय योजनाएं क्या हैं
    - इन योजनाओं से जुड़ने पर सेवा प्रदाता को क्या लाभ है
    - इन योजनाओं हेतु आवेदन कैसे करें (वेब पोर्टल सम्बन्धी प्रशिक्षण)
    - शासन की निजी सेवा प्रदाता से क्या अपेक्षाएं हैं
    - लाभार्थी/सेवाओं की गलत/झूठी सूचना देने पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही हो सकती है
2. सम्बद्धता उपरान्त् प्रशिक्षण
    - लाभार्थियों/प्रदत्त सेवाओं का आवश्यक ब्योरा रखना/वेब पोर्टल पर अपलोड करना
    - सेवा हेतु आवश्यक संसाधनों के सुनिश्चितीकरण हेतु मानक
    - स्वास्थ्य सम्बन्धी संक्रमण निरोधन (इन्फेक्शन प्रिवेंशन)
    - सेवा गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण